

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम
31.5.18	<p>पंचायत आज लोक अदालत के शुभ पंचायत कागज के ल से वादे पर पैदा हुई। वादी एवं प्रतिवादी गण उपाधिकार के। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा अपने अपने अधिकारों को उत्पन्न विवाद की जानकारी से अवगत कराया। पंचायत की अ अवलोकन किया। लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की समझा हुआ भी गई। समझावले करने पर दोनों ही पक्ष समझोता करने पर सहमत हो गये। दोनों पक्षों आपसी समझौते के अपना कि रानी नामा सेवा दिखा कि मोटे पर हमने को देखा है सखा है। वादी एवं प्रतिवादी में से किसी भी पक्ष के पास ज्यादा भूमि हुई तो उसे भी नापतौल कर 1/2, 1/2 दिक्का कर कर अदिमा जावे। इसमें हम दोनों पक्षों को कोई आपत्ती नहीं है। रानी नामा उपाधिकार वादी एवं प्रतिवादी गणों को पहले खुनामा दोनों पक्षों ने शुभ समझकर सही होने पर अपने अपने उत्तराधिकारियों को वादी पक्ष की पारिचय मदम कोरम पुत्र जगराज जाति पचाकड निवासी काफोरी ने की लखा प्रतिवादी गणों की पारिचय राजे लु पचाकड पुत्र याद राम पचाकड निवासी काफोरी द्वारा की गई। दोनों पक्ष वादी एवं प्रतिवादी की स्मृति से रानी नामा स्वीकार किया जाता है। रानी नामा स्वीकार किसे पर पंचायत में दी गई और</p>

य. मि. अखण्ड  
 ज. मि.  
 अ. मि.  
 अ. मि.  
 अ. मि.  
 अ. मि.

अ. मि.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>किसी कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। केवल पंचायत कोरम शुभक भागी आकर वादशुकील नरकर से भी आकर दारिद्र्य दूर करने के लिए आज लोक अदालत में अल से वादे का पंचायत में सुभे पंचायत हुआ।</p> <p>अ. मि. वाय          अ. मि. अखण्ड          अ. मि. अखण्ड</p>